

सार्वजनिक सूचना

उमंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
(डेवलपर) रजि. कार्यालय: डी-64,
दूसरी मंजिल, डिफेंस कॉलोनी,
नई दिल्ली-110024 और
जन प्रिया बिल्ड एस्टेट्स प्राइवेट
लिमिटेड (लाइसेंसधारी कंपनी)

रजि. कार्यालय: फ्लैट नंबर 41, अरबिंदो
अपार्टमेंट अधिचिनी, नई दिल्ली-110016
ईमेल: info@umangrealtech.com

महानिदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग,
चंडीगढ़, हरियाणा (डीटीसीपी) द्वारा प्रदान
किए गए लाइसेंस साल 2011 संख्या 67
दिनांक 16.07.2011 के प्रावधान के अनुसार,
उमंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड "विंटर
हिल्स 77" नामक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
(कॉलोनी) को विकसित करने की प्रक्रिया में है।
कॉलोनी का कुल क्षेत्रफल 16.540 एकड़ है
और सेक्टर -77, ग्राम शिकोहपुर, गुरुग्राम,
हरियाणा (कॉलोनी) में स्थित है। कॉलोनी को
दो चरणों में बनाया गया है। दोनों चरण 24
मीटर सड़क से विभाजित हुए हैं।

कॉलोनी के प्रथम चरण में विभिन्न
आबंटियों/होमबॉयर्स ने आवंटन / खरीद के
लिए बुकिंग / अपार्टमेंट क्रेता अनुबंध
निष्पादित किया हुआ है। जिसका निर्माण पहले
ही पूरा हो चुका है, OC प्राप्त किया गया है,
संपत्ति सौंपी गई है और ऐसे भवन / टावर
संख्या ए से एल (1 से 12)। ईडब्ल्यूएस ब्लॉक
और सामुदायिक भवन के क्षेत्रों में कोई
परिवर्तन नहीं है। प्रथम चरण में स्कूलें और
वाणिज्यिक परिसर भी शामिल हैं।

किसी व्यक्ति ने कॉलोनी के द्वितीय चरण में
प्लॉट / संपत्ति के आवंटन के लिए बुकिंग या
खरीद समझौता नहीं किया है।

कॉलोनी के द्वितीय चरण के 16,335.816 वर्ग
मीटर क्षेत्र के लिए "संयुक्त विकास अधिकार
और मार्केटिंग अधिकार" "कीस्टोन वर्ल्ड
प्राइवेट लिमिटेड" को सौंपना प्रस्तावित किया
गया है।

महानिदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग,
चंडीगढ़, हरियाणा के कार्यालय से "संयुक्त
विकास अधिकार और मार्केटिंग अधिकार" की
प्रारंभिक स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वारा मेमो
संख्या LC2384/JE(DS)/2023/19009
दिनांक 14.06.2023, उसने उनकी संयुक्त
विकास अधिकार और विपणन अधिकारों के
प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए सामान्य जनता से
इस संदर्भ में उनके अधिकारों पर प्रतिकूल
प्रभाव तक सीमित आपत्तियां मांगने की शर्त
कही है।

इस प्रकार, इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम
से; उक्त कॉलोनी में सामान्य जनता /
अलॉटीज़ से, संयुक्त विकास अधिकारों और
विपणन अधिकारों के हस्तांतरण संबंधित
आपत्ति का आमंत्रण किया जाता है।

यदि कोई आपत्ति हो, तो वह इस नोटिस के
प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर सीनियर टाउन
प्लानर, सेक्टर 14 गुड़गांव-122001 के
कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है,
या हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में भी अपनी
आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर 30 दिनों के
भीतर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त होती है तो यह
मान लिया जाएगा कि "कीस्टोन वर्ल्ड प्राइवेट
लिमिटेड" को इस लाइसेंस में संयुक्त विकास
अधिकार और विपणन अधिकारों के हस्तांतरण
के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है।

उमंग रियलटेक प्रा. लिमिटेड
गौरव वर्मा (कंपनी सचिव)

स्थान: गुरुग्राम, तारीख: 17.06.2023